न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–16/2017 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवांन

1. राजस्थान राज्य जरिये कलक्टर अलवर ।
2. तहसीलदार रैणी जिला अलवर ।

..... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र बिरदा जाति मीणा साकिन भाबड़ा का बास डेरा हाल तहसील रैणी जिला अलवर ।

..... रेस्पो0/वादी

उपस्थित :–
1. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।
2. श्री प्रदीप जैन अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित साबिक ख0 नं0 945 वाके ग्राम डेरा में से वादी को दिनांक 24.09.1975 को 5 बीघा आवंटन किया गया था जिसका अलग से ख0सं0 2035/945 कायम किया गया है और यह आराजी ख0 नं0 1035/945 वाके ग्राम डेरा का पट्टा भी वादी के नाम जारी किया गया तथा मौके पर वादी को दखल दिया गया तथा इस प्रकार वादी बाद आवंटन से ही उक्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है और आज भी काबिज है । वादी ने आवंटनशुदा आराजी में मेहनत करके पैसा लगाकर काबिल काश्त बनाया है । कागजात माल में गैर खातेदार भी वादी का नाम दर्ज हो गया । मिसल हकियत व जमाबन्दी सम्वत् 2046–65 में बन्दोबस्त कर्मचारियान जो प्रतिवादीगण के कर्मचारियों ने चालाकी से वादी का नाम गैर खातेदार का इन्द्राज उसकी आवंटनशुदा भूमि पर हजफ करके वादी के इस रकबे को हाल ख0 नं0 1178 रकबा 5 है0 10 ऐयर वाके ग्राम डेरा चारागाह में शामिल कर दिया और वादी के नाम का गैर खातेदार का इन्द्राज हजफ कर दिया गया जबकि मौके पर मुताबिक वादी खातेदार काश्तकार दर्ज

किया जाना चाहिए । इस प्रकार के गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा वादी के हकूक खांतेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज की आड़ में वादी को बेदखल करने की कार्यवाही करते हैं । इसलिए वाद वादी डिक्री करने का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 26.02.2001 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 26.02.2001 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

पैरोकार सरकार अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कहना है कि चारागाह आराजी का आवंटन गलत है जो कि धारा 16 से बाधित है । मौके पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं है । जमाबन्दी मिसल हकीयत सम्वत् 2046–65 में यह आराजी चारागाह दर्ज है तथा सम्वत् 2020 में भी चारागाह ही दर्ज है । आवंटन से पहले भी यह आराजी चारागाह थी । किस्म परिवर्तन का कोई दस्तावेज रेस्पो0 ने पेश नहीं किया है । राजकार्य में व्यवस्त होने के कारण अपील मियाद बाहर देरी से पेश हुई है । अतः डिले कन्डोन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया और तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करनें की इस्तदुआ की ।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि तहत न्यायालय में पैरोकार सरकार की हैसियत से तहसीलदार वकील थे । अपीलांट ने अपील 15 वर्ष मियाद बाहर पेश की है तथा डिले कन्डोन के उचित कारण नहीं बताये हैं । इज्रराय के नोटिस पहुंचे, उसकी भी जानकारी है फिर भी अपील समय पर पेश नहीं की । इसलिए मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

मैरिट पर बहस में आगे कहा कि सन् 1975 का आवंटन है । सम्वत् 2035–38 की जमाबन्दी में ख0 नं0 1035/935 रकबा 5 बीघा गंगासहाय पुत्र बिरदा गैर खातेदार दर्ज है तथा इसके बाद के राजस्व रेकार्ड में भी गैर खातेदार दर्ज है । सम्वत् 2045 की जमाबन्दी में विवादित आराजी को चारागाह गलत दर्ज किया गया है । तहत न्यायालय में गवाह व रेकार्ड पेश किया जिसमें कब्जा वक्त आवंटन से ही रेस्पो0 का है । तहत न्यायालय ने तनकीयात कायम करते हुए रेकार्ड अनुसार सही निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2001 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय ने अपन निर्णय से वाद वादी इस आधार पर डिक्री किया गया है कि वादी/अपीलांट को विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 945 में से दिनांक 24.9.1975 को

5 बीघा आवंटित हुई थी और उसका अलग से ख0 नं0 2035/945 कायम करके वादी को रेकार्ड में गैर खातेदार ऐलोटी दर्ज कर दिया । इस संबंध में पत्रावली पर रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2035–38 खाता सं0 238 ख0 नं0 1035/945 मिन रकबा 5 बीघा किस्म बारानी दोयम दर्ज रेकार्ड है । सम्वत् 2039 की जमाबन्दी में गंगासहाय पुत्र बिरदा मीणा सा0देह अलोटी गैर खातेदार ख0 नं0 1035/945 रकबा 5 बीघा बारानी दोयम किस्म के रूप में दर्ज है । नक्शा ट्रेस एक्जी.4 के अनुसार ख0 नं0 1035/945 की लाल स्याही से तरमीम अंकित है । मिलान क्षेत्रफल से ख0 नं0 साबिक 945 जिनसे ख0 नं0 1166 व 1178 चारागाह के रूप में दर्ज रेकार्ड है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2051–52 से गंगासहाय के वारिसान की काश्त, कब्जा, आवास दर्ज है । इस प्रकार से तहत न्यायालय में वादी का वाद इन तथ्यों के आधार पर डिक्री किया है । विवादित आराज़ी गंगासहाय अलोटी गैर खातेदार है तथा बन्दोबस्त विभाग ने गलत रूप से विवादित आराजी को चारागाह दर्ज रेकार्ड खिलाफ कानून व मौका किया है ।

अपीलांट सरकार ने चारागाह के रेकार्ड को मानकर खातेदारी देना बताया है व धारा 16 से प्रतिबंधित बताया है । रेस्पो0 ने मियाद अधिनियम दफा 5 का जवाब पेश कर कहा कि 15 वर्ष बाद अपील पेश की है, डिले का कोई कारण नहीं बताया है । अतः अपील में मियाद अधिनियम के आधार पर अपीलांट रीलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । यह भी कहा कि तहत न्यायालय ने बन्दोबस्त द्वारा गलत इन्द्राजों को ही सही करने का आदेश दिया है, वह विधि सम्मत है ।

हमने उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा रेकार्ड और तहत न्यायालय के निर्णय का मैरिट पर अवलोकन करने पर पाते हैं कि तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है तथा पैरोकार सरकार द्वारा जो अपील पेश की है वह भी देरी से पेश की है तथा डिले का कोई कारण कानून सम्मत नहीं बताया है । अतः मियाद अधिनियम के बिन्दू पर ही अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है तथा गुणावगुण पर भी तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है ।

इसलिए अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दू तथा गुणावगुण पर परीक्षण करने के बाद काबिल खारिजी के पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2001 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत न्यायालय को मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति पालनार्थ भिजवायी जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर